कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा),उत्तराखण्ड,देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-62/2017-18/

दिनांक : /11/2017

सेवा में,

नगर पंचायत,

सुल्तानपुर

जनपद- ऊधम संह नगर

वषय : नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद- ऊधम संह नगर का वर्ष 2014-15 से 2016-17 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग II (अ) में शून्य प्रस्तर तथा भाग-II (ब) में 07 प्रस्तर एवं STAN शुन्य प्रस्तर हैं। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा र्षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग-2 (अ) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या स चव, शहरी वकास, उत्तराखण्ड शासन एवं भाग-2 (ब) के सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0: स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-62/2017-18/ दिनांक : /11/2017

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 43/6 माता मंदिर, धर्मपुर, देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी.एल.शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री आशीष मालवीय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **11.08.2014** से **20.08.2014** तक संपादित की गयी थी। जिसमें माह **04/2011** से **03/2014** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **4.04 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **9,881**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **07**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **08**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **15**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **88 दुकानें, कार्यालय भवन एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

समस्त धनराशि ( ) में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)		अवशेष			
							स्थापना (NP)		गैर स्थापना (P)	
	स्थापना (NP)	गैर स्थापना (P)	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	862127	0	20877932	20264140	2373000	1416000	0	1475919	0	957000
2015-16	1475919	957000	15981849	15381799	7333000	5360000	0	2075969	0	2930000
2016-17	2075969	2930000	14280754	12826803	4031000	2870447	0	3529920	0	4090553
कुल योग			**51140535**	**48472742**	**13737000**	**9646447**				

भाग-I. 2(ii)(अ)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, ऊधम सिंह नगर का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2123000	2123000	1416000	707000
2	राज्य वित्त आयोग	338612	12202000	12540612	11860632	679980
3	अवस्थापना विकास निधि	0	0	0	0	0
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	सांसद निधि	0	250000	250000	0	250000
6	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	523515	8675932	9199447	8403508	795939
	कुल योग	**862127**	**23250932**	**24113059**	**21680140**	**2432919**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, ऊधम सिंह नगर का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	707000	2743000	3450000	3450000	0
2	राज्य वित्त आयोग	679980	12203000	12882980	12685638	197342
3	अवस्थापना विकास निधि	0	3990000	3990000	1660000	2330000
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	600000	600000	0	600000
5	सांसद निधि	250000	0	250000	250000	0
6	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	795939	3778849	4574788	2696161	1878627
	कुल योग	**2432919**	**23314849**	**25747768**	**20741799**	**5005969**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, ऊधम सिंह नगर का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3739000	3739000	1800447	1938553
2	राज्य वित्त आयोग	197342	12203000	12400342	10401501	1998841
3	अवस्थापना विकास निधि	2330000	0	2330000	1000000	1330000
4	स्वच्छ भारत मिशन	600000	222000	822000	0	822000
5	सांसद निधि	0	70000	70000	70000	0
6	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	1878627	2077754	3956381	2425302	1531079
	कुल योग	**5005969**	**18311754**	**23317723**	**15697250**	**7620473**

लेखाओं पर टिप्पणी:-

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

(iii) इकाई के निजी स्रोतों से आय में निरन्तर कमी आ रही है |

(iv) चयनित माह (अक्टूबर 2015) में भुगतान की गई धनराशि `3,00,300, वाऊचर संख्या 160 दिनांकित 30.10.2015 से संबन्धित पत्रावली एवं समर्थित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए |

भाग-I. 2(ii)(स)

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, ऊधमसिंह नगर का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	2123000	2123000	1416000	707000
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	707000	2743000	3450000	3450000	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	3739000	3739000	1800447	1938553
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	600000	600000	0	600000
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	600000	222000	822000	0	822000

भाग II-'ब '

प्रस्तर 1 : तहबाजारी ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली के कारण शासन को `1,62,580/- के राजस्व की हानि |

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अध्याय दो की धारा (16) एवम् इसी अधिनियम की अनुसूची 1 (बी) के अनुच्छेद 35 के अनुसार किसी लीज/अनुबंध या करार तथा किसी अचल सम्पत्ति को स्थानान्तरित आदि करने पर नियमानुसार शासन द्वारा स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाती है ताकि शासकीय आय में वृद्दि हो सके। **नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में अपर महानिरीक्षक निबन्धक उत्तराखंड, देहरादून द्वारा निदेशक शहरी विकास को संबोधित अपने पत्र संख्या 375/म.नि.नि./2012-13 दिनांकित 13.07.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ठेकों पर ठेकों की सम्पूर्ण राशि के 2% की दर से स्टाम्प शुल्क की वसूली की जानी चाहिए |** इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि लीज अनुबन्ध स्टाम्प की धारा (2)(16) के अन्तर्गत आती है जिस पर अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क देय है।

इकाई द्वारा ठेकों पर दी गई अचल सम्पत्तियों के अनुबन्धों की पत्रावलियों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर-अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान दिये गये तहबाजारी ठेकों पर संलग्नक 'क' के अनुसार `1,62,580/- के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई थी | आगे जाँच में पाया गया इकाई द्वारा श्री अफसर अली, ठेकेदार से ठेके की पूर्ण धनराशि की भी वसूली नहीं की गई जिसके कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि हेतु संबन्धित ठेकेदार से `4,500/- का जुर्माना भी वसूल किया जाना बाकी था |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की गई | इकाई ने आगे बताया कि स्टाम्प शुल्क की बकाया वसूली हेतु ठेकेदारों से पत्राचार किया जा रहा है तथा स्टाम्प शुल्क की बकाया धनराशि `1,62,580/- को वसूलने के बाद राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी | इकाई ने यह भी बताया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार श्री अफसर अली, ठेकेदार से दिनांक 01 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि हेतु जुर्माने की धनराशि `4,500/- को वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा तहबाजारी ठेकों पर देय समस्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के बाद ही कार्यादेश जारी करने चाहिए थे | इकाई द्वारा अनुबन्ध के समय स्टाम्प शुल्क की कम वसूली किए जाने के कारण शासन को `1,62,580/- के राजस्व की हानि हुई है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

संलग्नक 'क'

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधम सिंह नगर द्वारा दिये गएतहबाजारी ठेकों पर ठेकेदारों से वसूली गई कम स्टाम्प ड्यूटी का विवरण

क्रं.सं.	ठेके का प्रकार	ठेकेदार का नाम	ठेके का स्थान	ठेके की अवधि	ठेके की कुल धनराशि	स्टाम्प ड्यूटी		
						जो वसूल की जानी थी	जो वसूल की गई	अन्तर
1	तहबाजारी	मै. कमलेश ट्रेडर्स, आर्य नगर, सुल्तानपुर, ऊधम सिंह नगर	नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत	01.04.14 से 31.03.15	2500000	50000	120	49880
2	तहबाजारी	श्री विजय कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री हरीशचन्द्र मल्होत्रा, आर्य नगर, सुल्तानपुर, ऊधम सिंह नगर	नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत	01.04.15 से 31.03.16	2530000	50600	100	50500
3	तहबाजारी	मै. अफसर अली, निवासी ग्राम-कनौरा, तहसील-बाजपुर, ऊधम सिंह नगर	नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत	01.04.16 से 31.03.17	3115000	62300	100	62200
				कुल योग	**8145000**	**162900**	**320**	**162580**

भाग II-'ब '

प्रस्तर 2 : इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `1,33,028/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पंचायत, सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर के निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर-अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान संलग्नक के अनुसार **22** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`1,33,02,733/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`1,33,028/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदारों से लेबर सेस की बकाया धनराशि वसूलने हेतु नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा ठेकेदारों से वसूली के पश्चात लेबर सेस की धनराशि **`1,33,08/-** को राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2014-15 से 2016-17 तक)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
				जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2014-15	सी.सी. रोड टांडा बंजारा में राम कुँवर के मकान से इंदर के मकान तक	1316699	13167	0	13167
2	2014-15	शब्बीर के मकान से नबी जान के मकान तक टाइल्स रोड निर्माण कार्य	1057508	10575	0	10575
3	2015-16	बुद्ध बाजार में सी.सी.रोड भाग-1	872742	8727	0	8727
4	2015-16	बुद्ध बाजार में सी.सी.रोड भाग-2	727568	7276	0	7276
5	2015-16	बुद्ध बाजार में सी.सी.रोड भाग-3	899031	8990	0	8990
6	2015-16	प्रकाश के मकान से साहिद पधान के फ्लैट तक नाला निर्माण	648250	6483	0	6483
7	2015-16	नगर पंचायत कार्यालय के समीप श्री शराफत हुसैन के मकान से श्री सोमपाल सैनी के मकान तक सी.सी.सड़क मरम्मत कार्य	511046	5110	0	5110
8	2015-16	सी.सी.रोड श्री साबिर के मकान से श्री अनवर के मकान तक मौ. टांडा बंजारा सुल्तानपुर	284439	2844	0	2844
9	2016-17	नन्हें के प्लाट से छोटेलाल के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण	252053	2521	0	2521
10	2016-17	सी.सी.रोड निर्माण कार्य मौर्या स्कूल के पास मौ. आदर्शनगर सुल्तानपुर	250283	2503	0	2503
11	2016-17	सी.सी.रोड निर्माण कार्य अहमद अली के मकान से अकरम के मकान तक	95519	955	0	955
12	2016-17	श्री खुशीराम पार्क निर्माण	1086849	10868	0	10868
13	2016-17	गुलाम मुस्तफा से प्रदीप लाला के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1060959	10610	0	10610

14	2016-17	सरस्वती शिशु मंदिर से प्रताप की दुकान तक नाला निर्माण कार्य	498350	4984	0	4984
15	2016-17	प्रताप की दुकान से पप्पल की दुकान तक नाला निर्माण कार्य मौ. आदर्शनगर	453563	4536	0	4536
16	2016-17	मौ. श्यामनगर में एहसान के मकान से हाजी खुर्शीद के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	422110	4221	0	4221
17	2016-17	बन्दे वाली रोड से महेश के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य मौ. टांडा बंजारा	470950	4710	0	4710
18	2016-17	रमेश माली से वेद्प्र्काश से साहिद पधान से विपिन अग्रवाल तक नाला निर्माण कार्य	1236404	12364	0	12364
19	2016-17	नरेन्द्र के मकान से टण्डन के मकान तक मौ. आदर्शनगर में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	428700	4287	0	4287
20	2016-17	श्री सुरेश के मकान से श्री ज्ञान के मकान तक सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	331203	3312	0	3312
21	2016-17	मौ. टांडा बंजारा में श्री अशोक के मकान से श्री श्यामलाल के मकान तक सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	290500	2905	0	2905
22	2016-17	मौ. गांधीनगर सुल्तानपुर में श्री सुखलाल के मकान से श्री रामचन्द्र के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	108007	1080	0	1080
		कुल योग	**13302733**	**133028**	**0**	**133028**

प्रस्तर 3 : इकाई द्वारा वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने के कारण शासन को `1,35,271/- के राजस्व की हानि |

उत्तराखण्ड Value Added Tax Act, 2005 की धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसार निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय स्रोत पर ठेकेदारों के बिलों से 6% की दर से वाणिज्यकर की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा की जानी चाहिए |

नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक "**ग**" के अनुसार **10** निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **`1,35,271/-** के वाणिज्यकर की कम कटौती की गई जिसके कारण शासन को **`1,35,271/-** के राजस्व की हानि हुई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में वाणिज्यकर की कम कटौती की गई | इकाई ने आगे बताया कि वाणिज्यकर की बकाया धनराशि वसूलने हेतु ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा वाणिज्यकर की बकाया धनराशि **`1,35,271/-** को ठेकेदारों से वसूलने के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय ही वाणिज्यकर की पूर्ण कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए थी | इकाई द्वारा वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने के कारण शासन को `1,35,271/- के राजस्व की हानि हुई है |

अतः इकाई द्वारा **`1,35,271/-** के वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से वाणिज्यकर की कम कटौती किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2014-15 से 2016-17 तक)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	वाणिज्यकर की कटौती		
				जो की जानी थी (@6%)	जो की गई	अन्तर
1	2014-15	सी.सी. रोड टांडा बंजारा में राम कुँवर के मकान से इंदर के मकान तक	1316699	79002	52668	26334
2	2014-15	शब्बीर के मकान से नबी जान के मकान तक टाइल्स रोड निर्माण कार्य	1057508	63450	42300	21150
3	2015-16	बुद्ध बाजार में सी.सी.रोड भाग-1	872742	52365	34890	17475
4	2015-16	बुद्ध बाजार में सी.सी.रोड भाग-2	727568	43654	29102	14552
5	2015-16	बुद्ध बाजार में सी.सी.रोड भाग-3	899031	53942	35962	17980
6	2015-16	प्रकाश के मकान से साहिद पधान के फ्लैट तक नाला निर्माण	648250	38895	25930	12965
7	2015-16	नगर पंचायत कार्यालय के समीप श्री शराफत हुसैन के मकान से श्री सोमपाल सैनी के मकान तक सी.सी.सड़क मरम्मत कार्य	511046	30663	20442	10221
8	2016-17	श्री सुरेश के मकान से श्री ज्ञान के मकान तक सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	331203	19872	13248	6624
9	2016-17	मौ. टांडा बंजारा में श्री अशोक के मकान से श्री श्यामलाल के मकान तक सी.सी.सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	290500	17430	11620	5810
10	2016-17	मौ. गांधीनगर सुल्तानपुर में श्री सुखलाल के मकान से श्री रामचन्द्र के मकान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	108007	6480	4320	2160
		कुल योग	**6762554**	**405753**	**270482**	**135271**

प्रस्तर 4 : इकाई की शिथिलता के कारण गृहकर, दुकान किराये एवं हाटबाजार ठेके की वसूली `19.93 लाख का लम्बित रहना |

गृहकर, दुकान किराया एवं विभिन्न ठेकों से प्राप्त आय किसी भी नगर पंचायत की आय के प्रमुख स्रोत होते हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा भी नगरपालिकाओं द्वारा दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वयं की आय से संबन्धित अर्हतायें निर्धारित की गई हैं | 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों (No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 dated 08th October, 2015-**दिशा-निर्देश संख्या 13**) के अनुसार नगरपालिकाओं को दक्षता अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर अपनी आय में वृद्धि दर्शानी होगी |

इकाई के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (सितम्बर-अक्टूबर 2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निम्नानुसार गृहकर, दुकान किराये तथा हाटबाजार से वसूली की गई:-

तालिका 1: गृहकर वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	145849	83180	229029	41123 **(18%)**	187906
02.	2015-16	187906	84013	271919	52815 **(19%)**	219104
03.	2016-17	219104	84376	303480	55420 **(18%)**	248060

तालिका 2: दुकान किराया वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	132097	252796	384893	190331 **(49%)**	194562
02.	2015-16	194562	255199	449761	155168 **(35%)**	294593
03.	2016-17	294593	263324	557917	241462 **(43%)**	316455

तालिका 3: हाटबाजार वसूली विवरण

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली	गतशेष
01.	2014-15	367266	2500000	2867266	2237000 **(78%)**	630266
02.	2015-16	630266	2530000	3160266	2631000 **(83%)**	529266
03.	2016-17	529266	3115000	3644266	2216500 **(61%)**	1427766

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर इकाई द्वारा गृहकर, दुकान किराये तथा हाटबाजार की कुल बकाया धनराशि **`19.93 लाख {(गृहकर `2.48 लाख+दुकान किराया `3.17 लाख+हाटबाजार `14.28 लाख)}** का वसूल किया जाना बाकी था |

इकाई द्वारा गृहकर के रूप में केवल **18** से **19** प्रतिशत, दुकान किराये के रूप में केवल **35** से **49** प्रतिशत तथा हाटबाजार ठेकों से केवल **61** से **83** प्रतिशत की वसूली की जा रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है जबकि निदेशक शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि.-2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014 के द्वारा भी सभी निकायों को यह निर्देशित किया गया था कि निकायों में आरोपित करों की वसूली 90 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित की जाय |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में वसूली बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा माँग के सापेक्ष बहुत कम वसूली की जा रही है | गृहकर के रूप में की जा रही वसूली नगण्य है | इकाई द्वारा माँग के अनुरूप वसूली न किए जाने के कारण निकाय की आय में निरन्तर कमी आ रही है जोकि निकाय के हित में नहीं है | निकाय की आय में कमी के कारण इकाई को आतिथि तक 14वें वित्त आयोग से दक्षता अनुदान भी प्राप्त नहीं हुआ है जोकि इकाई की शिथिलता को दर्शाता है | इकाई द्वारा वसूली बढ़ाने हेतु न तो कोई समीक्षा की गई न ही कोई विशेष प्रयास किया गया |

अतः गृहकर, दुकान किराये तथा हाटबाजार की बकाया वसूली `19.93 लाख के लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 5 – ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किया जाना एवं रू0 411.15 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किया जाना।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 अधिसूचित की गयी थी (सितम्बर 2000)। इन नियमों का प्रत्येक नगरीय प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथकीकरण, भण्डारण, परिवहन, प्रक्रिया एवं निस्तारण किया जाना था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली 2000 में संशोधन कर (अप्रैल 2016) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 बनायी गयी जो म्युनिसिपल क्षेत्र से बाहर भी प्रभावी है। नियमावली के अनुसार निम्नलिखित मानदण्डों का अनुपालन किया जाना था।

मानदण्ड	अनुपालन
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	प्रत्येक घरों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं उसे सामुदायिक बिन में हस्तांतरण
ठोस अपशिष्ट का पृथकीकरण	अपशिष्ट के पृथकीकरण हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन एवं पृथकीकृत अपशिष्टों का पुनः उपयोग एवं पुनर्प्रक्रिया को बढावा देना।
ठोस अपशिष्ट का भण्डारण	जनसंख्या घनत्व एवं अपशिष्ट के उत्पन्न मात्रा के आधार पर भण्डारण सुविधा का विकास एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अपशिष्ट हेतु अलग–अलग रंगो में बिन का रखरखाव।
ठोस अपशिष्ट का परिवहन	अपशिष्ट के दैनिक सफाई हेतु ढंके हुये वाहनों का उपयोग एवं बहुस्तरीय हथालन को रोका जाना।
ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया	उपयोगी तकनीकी अथवा तकनीकी युग्म के द्वारा भू–भरण पर पड़ने वाले भार को कम करने हेतु प्रयास करना।
ठोस अपशिष्ट का निस्तारण	भू–भरण को उन अजैविक, अक्रियाशील अपशिष्टों से भरा जाना चाहिये जो जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनर्चक्रण हेतु उपयोगी न हों।

उपरोक्त के अलावा **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016** के **बिन्दु 15(1)(ड.)** के अनुसार नगरीय निकाय इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबन्धों को समाविष्ट करते हुये उपविधियां बनायेगा एवं समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा, **बिन्दु 15(1)(यघ)** के अनुसार निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बर्साती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के हथालन में लगे सभी कार्मिको को उपलब्ध करायेगा और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा, **बिन्दु 15 (1)(यक) एवं (यख)** के अनुसार नगरीय प्राधिकारी प्रारूप IV में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक, शहरी विकास को दिनांक 30 अप्रैल एवं सचिव, शहरी विकास विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मई तक प्रेषित करेगा, **बिन्दु 15 (1)(ठ)** के अनुसार निकाय अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का प्रशिक्षण देगा, **बिन्दु 25** के अनुसार यदि किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केन्द्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्रारूप–VI में घटना की रिपोट स्थानीय निकाय को भेजेगा, बिन्दु 15(1)(म एवं य) के प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

नगर पंचायत, सुल्तानपुर पटटी, उधमसिंहनगर (न0पं0) के ठोस अपशिष्ट से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि न0पं0 परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 3.00 टन अपशिष्ट को 02 वाहनों के माध्यम से घरों से बिना पृथकीकृत किये संग्रहित किया जा रहा था। परिक्षेत्र में कोई भी सामुदायिक बिन नहीं रखा गया था। उपयोग में लाये जा रहे वाहन खुले थे। न0पं0 द्वारा ठोस अपशिष्ट की प्रक्रिया एवं भू–भरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त नही किया गया था। न0पं0 द्वारा नियमानुसार वार्षिक रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष प्रेषित नहीं की जा रही थी। न0पं0 परिक्षेत्र में कोई भी कमपोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु स्थल निर्धारित नहीं था जिसके कारण संग्रहित अपशिष्ट को बिना किसी प्रक्रिया के सड़क के किनारे जगह जगह पर डाला जा रहा था जैसा की निम्नलिखित फोटोग्राफ में प्रदर्शित है।

उपरोक्त के अलावा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड परिक्षेत्र का वायु, भूगर्भीय जल एवं लीचेट (Leachate) की जांच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में नगर पंचायत परिक्षेत्र में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया जाना सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अलावा न0पं0 के प्राधिकार में कम्पोस्ट प्लाण्ट, प्रोसेसिंग युनिट एवं वैज्ञानिक भू–भरण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। न0पं0 द्वारा कोई उपविधि नहीं बनायी गयी थी, कार्मिको को बहुत ही अल्प मात्रा में सुरक्षात्मक उपकरण वितरित किये गये थे। अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रह कर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। न0पं0 द्वारा वर्ष 2014–17 के दौरान ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि रू0 411.15 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

उपरोक्त के अलावा न0पं0 के पास बिन, वाहन एवं उपकरण में आवश्यक्ता के सापेक्ष निम्नानुसार कमियां पायी गयी।

बिन, वाहन एवं उपकरण का नाम		**आवश्यक्ता**	**उपलब्धता**	**कमी**
बिन		36	16	20
बड़े वाहन		02	00	02
उपकरण	फावड़ा	30	16	14
	गमबूट, ग्लब्स	50+50	05+25	45+25
	परात, ठेली	62+07	12+02	50+05

इस प्रकार न0पं0 द्वारा पालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि निकाय के पास उपलब्ध कूड़ेदान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु पर्याप्त नहीं है, प्रक्रिया इकाई एवं वैज्ञानिक भूमि भरण की स्थापना के बाद अपशिष्ट का पृथकीकरण किया जायेगा, नियमों के अनुसार उपविधियां भविष्य में बनायी जायेगी, कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें तथा उनका उपयोग सुनिश्चित कराया जायेगा। भविष्य में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषित की जायेगी, बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्मिकों को प्रशिक्षण नही दिया गया, भविष्य में प्रक्रिया इकाई एवं भू–भरण स्थल की स्थापना की जायेगी। कम्पोस्ट प्लाण्ट एवं वैज्ञानिक भू–भरण की स्थापना के पश्चात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि न0पं0 द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 2014–17 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू0 411.15 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भारत सरकार/राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया गया था।

अतः ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली का अनुपालन न किये जाने एवं रू0 411.15 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 6 : रू0 20.58 लाख के कार्य को अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरूद्व टुकड़ों में विभक्त कर आबंटित किये जाने, कार्य की लागत में रू0 4.42 लाख की वृद्वि **तथा** रू0 0.18 लाख **के** विचलन **की** स्वीकृत नहीं **लया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 13 (1) के अनुसार रू0 पच्चीस लाख एवं उससे अधिक अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की **जानी चाहिए**। नियम 13 (2) के अनुसार निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाये तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एन0आई0सी0) की वेबसाईट से भी सम्बद्व होनी चाहिये।

अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 3 (10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिये यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया **जाना चाहिऐ**। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिये आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कुल आवश्यक्ता के आगणित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारों की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यक्ता से बचने के लिये छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा।

नगर पंचायत के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जून 2014 में राज्य वित/बोर्ड फण्ड की निधि से निर्माण कार्य प्रस्तावित किये थे तथा निविदा प्राप्त करने हेतु एक **दैनिक** समाचार पत्र दैनिक जागरण में सूचना प्रकाशित की गयी थी। कार्यो का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**आगणन की धनराशि (लाख रू0 में)**	**कार्य पूर्ण करने की अवधि**
1.	बुद्वबाजार में मेन रोड का निर्माण कार्य भाग–1	6.86	एक माह
2.	बुद्वबाजार में मेन रोड का निर्माण कार्य भाग–2	6.86	एक माह
3.	बुद्वबाजार में मेन रोड का निर्माण कार्य भाग–3	6.86	एक माह
	योग	**20.58**	

उक्त कार्यो को प्रत्येक के सापेक्ष प्राप्त तीन–तीन निविदाओं के आधार पर आगणित दर पर ही आबंटित[1] किया गया था।

स्पष्ट **था** कि अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरूद्व रू0 20.58 लाख के कार्यो को, **जो एक ही** कार्य स्थल **पर संपादित कए जाने थे ,को** तीन टुकड़ों में विभक्त कर तथा एक ही समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित कर आबंटन किया गया जिससे कार्यो के निष्पादन में प्रतियोगी दरें प्राप्त करने में नगर पंचायत विफल रही।

[1] भाग एक एवं दो मेसर्स कमलेस ट्रेडर्स, सुल्तानपुर तथा भाग तीन श्री राज पाल सिंह सैनी, सुल्तानपुर

आगे जांच में पाया गया कि कार्य भाग–1 को रू0 6.86 लाख के विरूद्व रू0 8.73 लाख, भाग–दो को रू0 6.86 लाख के विरूद्व रू0 7.28 लाख एवं भाग–तीन को रू0 6.86 लाख के विरूद्व रू0 8.99 लाख **की लागत से** सम्पादित कराया गया था। कार्य भाग–1 के विरूद्व प्रस्तुत एवं स्वीकृत विचलन प्रपत्र में कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत अन्तिम देयक में रू0 0.18 लाख का विचलन स्वीकृत नहीं कराया गया था तथा कार्य की लागत में **हूई कुल** वृद्वि रू0 4.42 लाख[2] के सम्बन्ध में विचलन प्रपत्र में कोई कारण / **आधार** उल्लिखित नही किया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में **लेखापरीक्षा मे इं गत कए जाने पर तथ्यो को स्वीकार करते हुए इकाई द्वारा बताया गया क भ वष्य मे अ धप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वचलनों की स्वीकृति ली जाएगी।**

इस प्रकार रू0 20.58 लाख के कार्य को अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरूद्व टुकड़ों में विभक्त कर आबंटित किये जाने, कार्य की लागत में रू0 4.42 लाख की वृद्वि के सम्बन्ध में कोई सम्यक कारण न दिये जाने एवं कार्य भाग–1 के सापेक्ष प्रस्तुत अन्तिम देयक में रू0 0.18 लाख का विचलन स्वीकृत नहीं **कए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।**

---

[2] (रू0 8.73 लाख + रू0 7.28 लाख + रू0 8.99 लाख) - (रू0 6.86 लाख + रू0 6.86 लाख + रू0 6. 86 लाख)= रू0 4.42 लाख

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 7: नव-नियुक्त कर्मचारियों से संबन्धित नई अंशदायी पेंशन योजना का उचित क्रियान्वयन न किया जाना ।

शासनादेश सं 21/xxvvi (7)अ.पे.यो/2005 दिनांक 25/10/2005 के अनुसार राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओ/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नईभर्तियों पर 01 अक्टूबर2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी, जिसके अंतर्गत वेतन, महंगाई वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत केसमतुल्य धनराशि का अंशदान किया जाएगा एवं इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्यसरकार अथवा संबन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्थाद्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड शासन के पत्रांक 346/xxvii(7)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन स्वायत्तशासी संस्थाओं/ स्थानीय निकायों में अंशदायी पेंशन योजना लागू है तथा राजकोष से एकीकृत लेखा एवं भुगतान प्रणाली से वेतन आहरित नहीं होता, ऐसी संस्थाओं में जब तक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के पेंशन फंड के विषय में पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त नहीं होता, तब तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऐसी संस्था में जहां न्यूनतम सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज से कम ब्याज अनुमन्य न हो, सुरक्षित निवेश किया जाय ताकि जैसे ही फंड मैनेजर नियुक्त हो ब्याज सहित ऐसी धनराशि प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर को हस्तांतरित कर दी जाय।

कार्यालय नगर पंचायत सुल्तानपुर,ऊधम सिंह नगर के वेतन बिल/अन्य अभिलेखों जांच में पाया गया कि 01 अक्टूबर, 2005 के बाद नगर पंचायत में निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त किया गया था:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्रीमती राखी	पर्यावरण मित्र	09/09/2015
2.	श्री हरकेश	पर्यावरण मित्र	29/10/2010
3.	श्री मनोज कुमार	पर्यावरण मित्र	06/05/2006
4.	श्री संजीव कुमार	पर्यावरण मित्र	01/10/2008
5.	चन्द्र प्रकाश	चौकीदार	25/11/2009

उक्त कर्मचारियों के वेतन बिलों एवं नई अंशदायी पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संबन्धित कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन खातों को अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि. सुल्तानपुर पट्टी में सामान्य बचत खातों के रूप में रखा गया था। नगर पंचायत द्वारा कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की कटौतियों को लेजर में कर्मचारी की कटौती को पी. एफ़. एवं नियोक्ता के अंशदान को अंशदायी पेंशन अंशदान की रूप में अलग-अलग दर्शाया जा रहा था। आगे जाँचे में पाया गया कि उक्त खातों से नई अंशदायी पेंशन के दिशा-निर्देशों के विपरीत कर्मचारियों द्वारा बार-बार आहरण किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि पेंशन अंशदान की कटौतियों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा दिशा-निर्देशों के विपरीत आहरण के संबंध में भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई द्वारा बताया गया कि अंशदायी पेंशन योजना हेतु फंड मैनेजर नियुक्त किए जाने व प्रत्येक कर्मचारी की धनराशि को फंड मेनेजर को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त योजना हेतु 2005 में शासनादेश निर्गत किए गए थे एवं उक्त आदेशों का समुचित पालन न किया जाना विभागीय शिथिलता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद- ऊधमसिंह नगर** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2014-15** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **27 सितम्बर 2017** से **03 अक्टूबर 2017** तक संपादित की गयी|

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
इकाई के पास समुचित विवरण उपलब्ध नहीं था			

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई के पास विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का समुचित विवरण उपलब्ध न होने के कारण विगत अनिस्तारित प्रस्तरों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण नहीं किया जा सका|	

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग – V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत मौहल्ला टांडा बंजारा में आईडिया मोबाइल कंपनी के टावर हेतु लीज पर दी गई भूमि से संबन्धित पत्रावली एवं अन्य संबन्धित अभिलेख |

(ii) चयनित माह (अक्टूबर 2015) में भुगतान की गई धनराशि `3,00,300/- वाऊचर संख्या 160 दिनांकित 30.10.2015 से संबन्धित पत्रावली एवं समर्थित अभिलेख |

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री एस.डी. भट्ट	अधिशासी अधिकारी	01.04.15 से 31.10.15 तक
02.	श्री नजर अली	अधिशासी अधिकारी	01.11.15 से 30.10.16 तक
03.	श्री संजीव मेहरोत्रा	अधिशासी अधिकारी	01.11.16 से 27.03.17 तक
04.	श्री फईम खां	अधिशासी अधिकारी	27.03.17 से वर्तमान तक
05.	श्री जुम्मा भारती	अध्यक्ष	04.05.2013 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सुल्तानपुर, जनपद-ऊधमसिंह नगर** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/27 दिनांकित 05.10.2017 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय